न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–20 / 2021 (2021 / 385) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–किशनलाल पिता भैरूलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद–

प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक–22.03.2022

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम केमुणिया पटवार मण्डल रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1721 रकबा 0.65 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजी में रांज, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर पैदल सहित आवागमन करने हेतु एक मात्र रास्ता ग्राम रायपुर से गंगापुर जाने वाली मुख्य सड़क से होकर आगे बिलानाम आराजी संख्या 2188 / 1724 रकबा 1.17 है0 के दक्षिणी पूर्वी कोने से होकर आगे बिलानाम आराजी संख्या 1722 रकबा 0.35 है0 की पूर्वी दक्षिणी पाली पर होकर सदैव से था और रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है इसलिये उक्त रास्ते को अतिक्रमी आये दिन पत्थर डाल कर बन्द कर देते है जिससे राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज करवाया जाना अति आवश्यक हो गया है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी की आराजी में आवागमन करने का कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही है। प्रार्थी के लिये उक्त रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता का रास्ता है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम केमुणिया पटवार मण्डल रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 1721 में आवागमन करने का एक मात्र रास्ता जो बिलानाम आराजी संख्या 2188 / 1724 भूमि के दक्षिणी पूर्वी कोने से होकर आगे बिलानाम आराजी संख्या 1722 रकबा 0.35 है0 की पूर्वी दक्षिणी पाली पर 20 फीट चौड़ाई में स्थित है को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम किस्म रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम सादर फरमाया जावे तथा रास्ते को खुलासा करवाया जावे [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 13:21:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की तामील [illegible] रायपुर द्वारा जवाब प्रस्तुत नही कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई।

तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि आराजी संख्या 1721 रकबा 0.65 है0 पर रेकार्ड में आवागमन हेतु कोई रास्ता नही है। मौके पर रास्ता खुला

हुआ है रेकार्ड में दर्ज नही है। उक्त भूमि ग्राम रायपुर से गंगापुर जाने वाली सड़क के पूर्वी दिशा में स्थित है। उक्त भूमि सड़क के मध्य बिलानाम काबिल काश्त आराजी संख्या 2188/1724 रकबा 1.17 है0 किस्म छा.क. व आराजी संख्या 1722 रकबा 0.35 है0 किस्म छा. क. के दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे आवागमन किया जा रहा है जिसको प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। वर्तमान में आराजी संख्या 2188/1724 व आराजी संख्या 1722 में होकर आवागमन किया जा रहा है प्रार्थी 20 फीट चौड़ाई में रास्ता चाहता है। प्रस्तावित रास्ते में आराजी नम्बर 1722 रकबा 0.35 है0 मे से 0.05 है0 व आराजी संख्या 2186/1724 रकबा 1.17 है0 मे से 0.0050 है0 कुल रकबा 0.0550 है0 भूमि बनती है जिसकी वर्तमान डीएलसी दर असिंचित पास की 58275 प्रति बीघा है जिसकी कुल राशि 14825/—रूपये बनती है दुगुना करने पर 29650/—रूपये राशि बनती है। प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता नही है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थी अधिवक्ता एवं पैराकार सरकार नायब तहसीलदार की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है जो सरकारी रास्ते से सीधा बिलानाम भूमि में होता हुआ प्रार्थी की खातेदारी भूमि में जा रहा है इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही है। प्रार्थी द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वो बिलानाम सरकारी भूमि होकर पड़त है एवं प्रार्थी नियमानुसार भूमि कीमत देने हेतु सहमत है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम केमुणिया तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 1721 रकबा 0.65 है0 भूमि में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 1722 रकबा 0.35 है0 मे से 0.05 है0 यानि 500 वर्गमीटर भूमि एवं आराजी संख्या 2188/1724 रकबा 1.17 है0 मे से 0.0050 है0 यानि 50 वर्गमीटर भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 0.0550 है0 रास्ते के उपयोग में आ रही है जिसकी डीएलसी दर 58275/—रूपये प्रति बीघा से 14825/—रूपये बनते है जिसका दुगुना करने पर 29650/—रूपये मुआवजा राशि बनती है। उक्त मुआवजा राशि को प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा कराने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को [illegible] लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 13:21:30 IST
Reason: SelfAttested

22/03/2022
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–20/2021 (2021/385) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–किशनलाल पिता भैरूलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम केमुणिया तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 1721 रकबा 0.65 है0 भूमि में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 1722 रकबा 0.35 है0 मे से 0.05 है0 यानि 500 वर्गमीटर भूमि एवं आराजी संख्या 2188/1724 रकबा 1.17 है0 मे से 0.0050 है0 यानि 50 वर्गमीटर भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 0.0550 है0 रास्ते के उपयोग में आ रही है जिसकी डीएलसी दर 58275/–रूपये प्रति बीघा से 14825/–रूपये बनते है जिसका दुगुना करने पर 29650/–रूपये मुआवजा राशि बनती है। उक्त मुआवजा राशि को प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा कराने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

22/3/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 13:21:30 IST
Reason: SelfAttested